

180/c

Serial Circular No.16/2012.

Eastern Railway

No.ME.370/Act Appr./Circular.

Kolkata, dated 23/02/2012.

ALL CONCERNED.

Sub : Recognition of Certificate/Qualification
of I.T.I. upgraded as Centre of Excellence
(COE) and its acceptance for the purpose
of employment in railways.

Ref : Rly. Board's letter No.E(NG)-II/2005/RR-1/
dated 01.2.2012.

Photocopies of Railway Board's letter No.E(NG)-II/2005/
RR-1/7 dated 01.2.2012 alongwith Ministry of Labour & Employment's
Gazette Notification dated 07.11.2007, 21.7.2010 and 07.9.2010 are
forwarded herewith for information, guidance and necessary action.

DA : As refd. to.

27/2/12
(B. N. Saha)
Asstt. Personnel Officer(M&E & Court)
for Chief Personnel Officer.

SL. No. 16/2012
CLT 2.2.2.12
179/c

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

RBE No. 16/2012

No. E (NG)-II/2005/RR-1/7.

New Delhi, Dated: 16/02/2012.

The General Manager (P),
All Zonal Railways/Production Units, CORE/Allahabad,
MTP/Kolkata, Chennai, Mumbai, CAO (R), DMW/Patiala, COFMOW/New Delhi,
Director General, RDSO/Lucknow & RSC/Vadodra, Director, IRISSET/Secundrabad,
IRICEN/Pune, IRIEEN/Nasik & IRIM&EE/Jamalpur and Chairmen/Railway
Recruitment Boards; Managing Director/Konkan Railway Corporation Limited.

Sub: Recognition of Certificate/Qualification of I.T.I. upgraded as Centre of Excellence (COE) and its acceptance for the purpose of employment in railways.

Ref: (i) Board's letter of even number dated 27.12.2006 (RBE No.196/2006).
(ii) Ministry of Labour & Employment's Gazette Notification dated 07.11.2007, 21.7.2010 and 7.9.2010 (enclosed)

The proposal for recognition of certificate/qualification imparted by Industrial Training Institutes (ITIs) upgraded as Centre of Excellence (COE) under the scheme envisaged by Directorate General of Employment & Training (DGET), Ministry of Labour & Employment and acceptance of the same for the purpose of employment on the railways has been under examination of this Ministry.

2. It has now been decided by the Board that apart from the list of trades obtained under Craftsman Training Scheme from Industrial Training Institutes (ITIs) circulated vide letter under reference (i) above, certificates of BBBT (Broad Based Basic Training) and Advance Modules obtained from ITIs upgraded as Centre of Excellence, in the trades contained in Gazette Notifications referred to (ii) above, may be accepted for posts wherever ITI has been prescribed as a direct recruitment qualification.

3. Cases of recruitment already finalized need not be reopened. However, in the cases where recruitment has not yet been finalized, instructions may appropriately be adhered to.

4. Please acknowledge receipt.

Encls.: As stated.

8 FEB 2012

(Harsha Dass)
Joint Director Estt. (N)-II
Railway Board

Qy.EPO/RP

SAN
D 9.2.12

सु. का. वि.

No. E (NG)-II/2005/RR-1/7.

New Delhi, Dated: 01/02/2012.

Copy to:

- (i) The General Secretary, AIRF, Room No. 253, Rail Bhawan, New Delhi (35 spares).
- (ii) The General Secretary, NFIR, Room No. 256-E, Rail Bhawan, New Delhi (35 spares).
- (iii) All Members of Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (60 spares).
- (iv) The Secretary General, FROA, Room No. 256-A, Railway Board (5 spares).
- (v) The Secretary, RBSS, Group 'A' Officers' Association.
- (vi) The President, Railway Board Class II Officers' Association.
- (vii) The Secretary General, IRPOF.
- (viii) The Secretary, Indian Railways Class II Officers' Association.
- (ix) The Secretary, Railways Board Ministerial Staff Association.
- (x) The President, Railway Board Class IV Officers' Association.
- (xi) The General Secretary, AIRPF Association.
- (xii) The General Secretary, All India SC & ST Railway Employees Association, Room No-7, Rail Bhawan, New Delhi.
- (xiii) Chief Commissioner for Railway Safety, Lucknow.
- (xiv) Chief Administrative Officer, RCF/Raebareli Project, Kishanganj, Delhi-7


for Secretary, Railway Board

Copy to: PSs to MR, MSR (B) & MSR (M).

Copy to Sr.PPS/PPSs/PSs/PA to:

CRB, FC, MS, ML, ME, MT, MM, DG/RPF, Secretary, DG/RHS.

AM(Comml), AM(CE), AM(C&IS), AM(Elect), AM(Budget), AM(Mech), AM(Plg), AM(PU), AM(Sig), AM(Store), AM(Traffic), AM(Works), AM(T&C), AM(Staff), AM(F), Adv(Vig.), Adv(IR), Adv(Infra), Adv(C), Adv(project).

EDE(N), EDCE(G), EDF(E), ED(Safety), EDV(A), EDE(RRB), EDE(Sports), ED(E&R), EDE(GC), EDE(Res), EDH(P), ED(T&MPP), EDE, EDPC-I & II, EDF(BC), JS, JS(G), JS(E), JS(C), Dir. (MPP), DS(G), DF(E), DE(G), DE(GP), DE(LL), JDF(E), JDE(N)I,II, JDE(P&A), JDE(GC), JDE(W), JDE(Res)I, JDE(Rep), JDE(RRB), DDF(E) I & III, DDE (MPP), DDE (R)-II, DDE (LR)-I,II & III.

E(P&A)I&II, E(G), E(NG)I, E(Trg), E(MPP), F(E)I&II, A/C-III, ERB-I, II, III, IV, V & VI, E(Rep)I, II & III, E(Sports), E(W) Sec(E), FE(Spl), E(RRB), PC-III, IV, V & VI, E(SCT)I&II, E(GR) I & II, E(GC), E(GP), PR, E(D&A), E(Co-op), Code Revision Cell/ Branches of Railway Board

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 16/2012

सं. ई (एनजी)II/2005/आरआर-1/7

नई दिल्ली, दिनांक: 01.02.2012

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां, कोर/इलाहाबाद,
एमटीपी/कोलकाता, चेन्नै, मुंबई, मु.प्र.अ. (आर), डीएमडब्ल्यू/पटियाला, कॉफमो/नई दिल्ली,
महानिदेशक, अ.अ.मा.सं./लखनऊ, रेलवे स्टाफ कॉलेज/वडोदरा,
निदेशक, इरिसेट/सिकंदराबाद, इरिसेन/पुणे, इरीन/नासिक एवं
इरिमी/जमालपुर, अध्यक्ष/रेलवे भर्ती बोर्ड
प्रबंधक निदेशक/कॉकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड।

विषय: उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) के रूप में अपग्रेड किए गए आई.टी.आई के प्रमाण पत्र/अर्हता को मान्यता देना और रेलों में रोजगार के प्रयोजन के लिए इसे स्वीकार करना।

संदर्भ: (i) बोर्ड का दिनांक 27.12.2006 का समसंख्यक पत्र (आरबीई सं.196/2006)

(ii) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिनांक 07.11.2007, 21.07.2010 और 07.09.2010 का राजपत्र अधिसूचना (संलग्न)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीईटी) द्वारा शुरू की गई योजना के अंतर्गत उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) के रूप में अपग्रेड किए गए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्र/अर्हता को मान्यता देने और रेलों में रोजगार के प्रयोजन के लिए इसे स्वीकार करने के प्रस्ताव की इस मंत्रालय में जांच की गई है।

बोर्ड द्वारा अब यह विनिश्चय किया गया है कि उपर्युक्त (i) में उल्लिखित पत्र के तहत परिपत्रित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) से क्राफ्ट्समैन प्रशिक्षण योजना के तहत प्राप्त की गई ट्रेडों की सूची के अलावा बीबीबीटी (ब्रॉड बेस्ड बेसिक ट्रेनिंग) और उपर्युक्त (ii) में उल्लिखित पत्र के तहत राजपत्र अधिसूचना में उल्लिखित ट्रेडों में उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में अपग्रेड किए गए आईटीआई से प्राप्त किए गए एडवान्सड मॉड्यूल के प्रमाण पत्रों को उन पदों के लिए स्वीकार किया जाए, जहां आईटीआई को एक सीधी भर्ती की अर्हता के रूप में निर्धारित किया गया है।

--- 2/-

3. भर्ती के उन मामलों को पुनः खोले जाने की आवश्यकता नहीं है जिन्हें पहले से ही अंतिम रूप दे दिया गया है। बहरहाल, उन मामलों में, जिनमें भर्ती को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, उनके लिए इन अनुदेशों का समुचित रूप से अनुपालन किया जाए।

4. कृपया पावती दें।

६४

(हर्षा दास)

संयुक्त निदेशक, स्थापना (अराज.)II

रेलवे बोर्ड

सं. ई (एनजी)II/2005/आरआर-1/7

नई दिल्ली, दिनांक: 01.02.2012

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. महासचिव, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियां)।
2. महासचिव, एनएफआईआर, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियां)।
3. विभागीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य, सचिव कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियां)।
4. महासचिव, फ्रोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)।
5. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "ए" ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड क्लास II ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. महासचिव, इरपोफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)।
8. सचिव, रेलवे बोर्ड क्लास II ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' इंफ्लाइज एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. महासचिव, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा सं. 256 डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. महासचिव, आल इंडिया एससी एंड एसटी रेलवे एम्पलाईज एसोसिएशन, कमरा नं. 7, रेल भवन, नई दिल्ली।
13. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ।
14. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रेल कोच फैक्टरी/रायबरेली परियोजना, किशनगंज, दिल्ली-7

महिला

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 488]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 7, 2007/कार्तिक 16, 1929

No. 488]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 7, 2007/KARTIKA 16, 1929

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2007

सा.का.नि. 696(अ).—केन्द्रीय सरकार, शिक्षा अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 37 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय शिक्षता परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् शिक्षता नियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिक्षता (सातवां संशोधन) नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. शिक्षता नियम, 1992 की अनुसूची 1 में समूह सं. 34 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7	8
“समूह सं. 35 विशिष्टता व्यवसाय समूह केन्द्र :-							
1. मैकेनिक ऑटोमोबाइल (उन्नत पेट्रोल इंजन).	7233.22	1 : 2	दो वर्ष	ऑटोमोबाइल (पेट्रोल) की सर्विसिंग और ओवरहालिंग में विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मॉड्यूल के अधीन ऑटोमोबाइल सेक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।	
2. मैकेनिक ऑटोमोबाइल (उन्नत डीजल इंजन)	7233.24	1 : 2	दो वर्ष	ऑटोमोबाइल (डीजल) की सर्विसिंग और ओवरहालिंग में विशिष्टता स्कीम केन्द्र के	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।	

1	2	3	4	5	6	7	8
					उन्नत मोड्यूल के अधीन ऑटो-मोबाइल सैक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण		
3. मैकेनिक आटो इलेक्ट्रीकल	7242.10	1 : 2	दो वर्ष		आटो इलेक्ट्रीकल, ऑटो-इलेक्ट्रानिक्स और ऑटो-मोबाइल में वातानुकूलन की विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन आटो-मोबाइल सैक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य ।
4. मैकेनिक डेंटिंग, पेंटिंग और वेल्डिंग)	7142.20 7113.30	1 : 2	दो वर्ष		डेंटिंग, पेंटिंग और वेल्डिंग में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन ऑटो-मोबाइल सैक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य ।
5. टीआईजी/एमआईजी वेल्डर	7112.10 7112.20 7112.30 7112.65 7112.35	1 : 3	दो वर्ष		टीआईजी/एमआईजी वेल्डिंग में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन फेब्रिकेशन (फिटिंग और वेल्डिंग) सैक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य ।
6. संरचनात्मक वेल्डर	7112.10 7112.20 7112.30 7112.65 8231.35	1 : 3	दो वर्ष		विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन संरचनात्मक वेल्डिंग में वेल्डिंग फेब्रिकेशन (फिटिंग और वेल्डिंग) सैक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य ।
7. वेल्डर (पाइप और दाब जलयान)	7212.10 7212.20 7212.30 7212.65 8231.35	1 : 2	दो वर्ष		दाब जलयान और पाइप विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन वेल्डिंग फेब्रिकेशन (फिटिंग और वेल्डिंग) में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य ।
8. रसायन प्रयोगशाला सहायक	3111.30	1 : 2	दो वर्ष		रसायन सैक्टर में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन प्रयोगशाला सहायक में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य ।

1	2	3	4	5	6	7	8
9. उन्नत यांत्रिक	7311.10 7311.30 7241.10	1 : 2	दो वर्ष	रसायन सैक्टर में विशिष्टता व्यवसाय स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन उपकरण यांत्रिक में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।	
10. सीएडी-सीएएम प्रचालक सह-कार्यक्रमक	3121.20	1 : 2	दो वर्ष	सीएडी/सीएएम विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन उत्पादन और विनिर्माण सैक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।	
11. उन्नत वेल्डर	7212.10 7212.20 7212.30 7212.65 8231.35	1 : 2	दो वर्ष	उत्पादन और विनिर्माण सैक्टर में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन उन्नत वैल्विंग में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।	
12. जिम्स और फिक्सचर मेकर	7222.30	1 : 2	दो वर्ष	उत्पादन और विनिर्माण सैक्टर में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन जिम्स और फिक्सचर के विनिर्माण में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।	
13. क्वालिटी आश्वासन सहायक	3152.90	1 : 2	दो वर्ष	क्वालिटी इंजीनियरी में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन उत्पादन और विनिर्माण सैक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।	
14. सीएनसी कार्यक्रमक सह-प्रचालक	3121.20	1 : 3	दो वर्ष	उत्पादन और विनिर्माण सैक्टर में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन सीएनसी मशीनिंग में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।	
15. प्रचालक पीएलसी प्रणाली	8211.90	1 : 2	दो वर्ष	पीएलसी और आटोमेशन में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन उत्पादन और विनिर्माण सैक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।	
16. मेकेनिक (विद्युत घरेलू उपकरण)	7233.58	1 : 2	दो वर्ष	घरेलू उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव में विशिष्टता	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण	

1	2	3	4	5	6	7	8
9					स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन वैद्युत सैक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण		या इसके समतुल्य ।
17.	मेकेनिक (एचटी, एलटी उपस्कर और केवल संयोजन)	7245.20	1 : 2	दो वर्ष	एचटी, एलटी उपकेन्द्र और केबल संयोजन में प्रयुक्त उप-स्करों के प्रचालन और रख-रखाव में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन वैद्युत सैक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य ।
18.	मेकेनिक (विद्युत शक्ति युतियाँ)	7241.20 7242.10	1 : 2	दो वर्ष	इलैक्ट्रॉनिक परीक्षण उपस्कर की मरम्मत और रखरखाव में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन वैद्युत सैक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य ।
19.	मेकेनिक (एमबेडेड प्रणाली और पीएलसी)	8211.90	1 : 2	दो वर्ष	एमबेडेड प्रणाली और पीएलसी में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन इलैक्ट्रॉनिक सैक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य ।
20.	मेकेनिक पावर इलैक्ट्रॉनिक्स (इन्वर्टर, यूपीएस और डाइवर्स की रखरखाव)	7241.10 7242.10	1 : 2	दो वर्ष	इन्वर्टर, यूपीएस, वोल्टेज स्टेबलाइजर और औद्योगिक डाइवर्स में विशिष्टता व्यवसाय स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन इलैक्ट्रॉनिक सैक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य ।
21.	मेकेनिक (डीटीए और अन्य संचार प्रणाली)	7243.10 7244.20	1 : 2	दो वर्ष	संचार प्रणाली में विशिष्टता व्यवसाय स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन इलैक्ट्रॉनिक सैक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य ।
22.	मेकेनिक (घरेलू वाणिज्य प्रशीतन और वातानुकूलन मशीन)	7233.50	1 : 2	दो वर्ष	मेकेनिक, घरेलू वाणिज्यिक प्रशीतन और वातानुकूलन मशीन में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य ।

1	2	3	4	5	6	7	8
					उन्नत मोड्यूल के अधीन प्रशीतन और वातानुकूलन सैक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण		
23.	मेकेनिक (केन्द्रीय वातानुकूलन संयंत्र, औद्योगिक शीतलन और पैकेज वातानुकूलन)	8281.25	1 : 2	दो वर्ष	मेकेनिक, (केन्द्रीय वातानुकूलन संयंत्र, औद्योगिक शीतलन और पैकेज वातानुकूलन) में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन प्रशीतन और वातानुकूलन सैक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।
24.	मेकेनिक (शीतगृह, बर्फ संयंत्र और बर्फ कैण्डी संयंत्र)	7413.50 8169.30	1 : 2	दो वर्ष	शीतगृह, बर्फ संयंत्र और बर्फ, कैण्डी संयंत्र में विशिष्टता व्यवसाय स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन प्रशीतन और वातानुकूलन सैक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।
25.	कंप्यूटर सहायता प्राप्त पेटर्न मेकर	7222.80 7422.38 7434.20 7435.10 7442.16	1 : 2	दो वर्ष	कंप्यूटर सहायता प्राप्त और पेटर्न मेकिंग में विशिष्टता व्यवसाय स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन वस्त्र सैक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।
26.	फैशन डिजाइन सहायक	7471.40	1 : 2	दो वर्ष	फैशन डिजाइन में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन वस्त्र सैक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।
27.	शर्ट और पेंट मेकर	7433.25 7433.30	1 : 4	दो वर्ष	शर्ट और पेंट में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन वस्त्र सैक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।

[फा. सं. डीजीईटी-23(5)/(3005)/2006-एपी]

शारदा प्रसाद, महानिदेशक/संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 356 तारीख 1 अगस्त, 1992 में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. 576(अ) तारीख 6 सितम्बर, 2007 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
(DIRECTORATE GENERAL OF EMPLOYMENT AND TRAINING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2007

G.S.R. 696(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 37 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), the Central Government, after consulting the Central Apprenticeship Council, hereby makes the following rules further to amend the Apprenticeship Rules, 1992, namely:—

1. (1) These rules may be called the Apprenticeship (Seventh Amendment) Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Apprenticeship Rules, 1992, in Schedule I, after Group No. 34 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

1	2	3	4	5	6	7	8
“Group No. 35—Centre of Excellence Trades Group :							
1.	Mechanic Automobile (Advance Petrol Engine)	7233.22	1:2	Two years	Broad Based Basic Training in Automobile Sector under Centre of Excellence Scheme and Advance module of Centre of Excellence Scheme in Servicing and Overhauling of Automobiles (Petrol).	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of educa- tion or its equivalent.
2.	Mechanic Automobile (Advance Diesel Engine)	7233.24	1:2	Two years	Broad Based Basic Training in Automobile Sector under Centre of Excellence Scheme and Advance module of Centre of Excellence Scheme in Servicing and Overhauling of Automobiles (Diesel).	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of educa- tion or its equivalent.
3.	Mechanic Auto Electronics	7242.10	1:2	Two years	Broad Based Basic Training in Automobile Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Auto Electrical, Auto- Electronics and Air-condition- ing in Automobiles.	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of educa- tion or its equivalent.
4.	Mechanic (Denting, Painting and Welding)	7142.20 7213.30	1:2	Two years	Broad Based Basic Training in Automobile Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Denting-Painting and Welding.	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of educa- tion or its equivalent.
5.	TIG/MIG Welder	7212.10 7212.20 7212.30 7212.65 8231.35	1:3	Two years	Broad Based Basic Training in Fabrication (Fitting and Welding) Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in TIG/ MIG Welding.	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of educa- tion or its equivalent.
6.	Structural Welder	7212.10 7212.20 7212.30	1:3	Two years	Broad Based Basic Training in Fabrication (Fitting and Welding) Sector under Centre	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of educa-

1	2	3	4	5	6	7	8
		7212.65 8231.35			of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Structural Welding.		tion or its equivalent.
7.	Welder (Pipe and Pressure Vessels)	7212.10 7212.20 7212.30 7212.65 8231.35	1:2	Two years	Broad Based Basic Training in Fabrication (Fitting and Welding) Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Pressure Vessels and Pipe Welding.	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.
8.	Chemical Laboratory Assistant	3111.30	1:2	Two years	Broad Based Basic Training in Chemical Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Laboratory Assistant.	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.
9.	Advance Mechanic (Instruments)	7311.10 7311.30 7241.10	1:2	Two years	Broad Based Basic Training in Chemical Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Instruments Mechanic.	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.
10.	CAD-CAM Operator-cum-Programmer	3121.20	1:2	Two years	Broad Based Basic Training in Production and Manufacturing Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in CAD/CAM.	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.
11.	Advance Welder	7212.10 7212.20 7212.30 7212.65 8231.35	1:2	Two years	Broad Based Basic Training in Production and Manufacturing Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Advanced Welding.	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.
12.	Jigs and Fixtures Maker	7222.30	1:2	Two years	Broad Based Basic Training in Production and Manufacturing Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Manufacturing of Jigs and Fixtures.	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.
13.	Quality Assurance Assistant	3152.90	1:2	Two years	Broad Based Basic Training in Production and Manufacturing Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Quality Engineering.	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	CNC Programmer-cum-Operator	3121.20	1:3	Two years	Broad Based Basic Training in Production and Manufacturing Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in CNC Machining.	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.
15.	Operator PLC System	8211.90	1:2	Two years	Broad Based Basic Training in Production and Manufacturing Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in PLC and Automation.	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.
16.	Mechanic Electrical Domestic (Appliances)	7233.58	1:2	Two years	Broad Based Basic Training in Electrical Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Repair and Maintenance of Domestic Appliances.	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.
17.	Mechanic (HT, LT Equipments and Cable Jointing)	7245.20	1:2	Two years	Broad Based Basic Training in Electrical Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Operation and Maintenance of equipments used in HT, LT Sub-station and Cable Jointing.	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.
18.	Mechanic (Electrical Power Drives)	7241.20 7242.10	1:2	Two years	Broad Based Basic Training in Electrical Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Repair and Maintenance of Electronic Test Equipment.	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.
19.	Mechanic (Embedded Systems and PLC)	8211.90	1:2	Two years	Broad Based Basic Training in Electronics Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Embedded Systems and PLC.	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.
20.	Mechanic Power Electronics (Inverters, UPS, and Maintenance of Drives)	7241.10 7242.10	1:2	Two years	Broad Based Basic Training in Electronics Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Inverters, UPS, Voltage Stabilizer and Industrial Drives.	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.
21.	Mechanic (DTH and other Communication)	7243.10 7244.20	1:2	Two years	Broad Based Basic Training in Electronics Sector under Centre of Excellence Scheme	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of education

1	2	3	4	5	6	7	8
	System)				and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Communication System.		tion or its equivalent.
22.	Mechanic (Domestic, Commercial Refrigeration and Air Conditioning Machines)	7233.50	1:2	Two years	Broad Based Basic Training in Refrigeration and Air-conditioning Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Domestic, Commercial Refrigeration and Air-Conditioning.	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.
23.	Mechanic (Central Air-conditioning Plant, Industrial cooling and Package Air-conditioning)	8281.25 8169.30	1:2	Two years	Broad Based Basic Training in Refrigeration and Air-conditioning Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Central Air-conditioning Plant, Industrial cooling and Package Air-conditioning.	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.
24.	Mechanic (Cold storage, Ice Plant and Ice candy plant)	7413.50 8169.30	1:2	Two years	Broad Based Basic Training in Refrigeration and Air-conditioning Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Cold storage, Ice plant and Ice candy plant.	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.
25.	Computer Aided Pattern Maker	7222.80 7422.38 7434.20 7435.10 7442.16	1:2	Two years	Broad Based Basic Training in Apparel Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Computer Aided and Pattern Making.	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.
26.	Fashion Designing Assistant	3471.40	1:2	Two years	Broad Based Basic Training in Apparel Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Fashion Designing.	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.
27.	Shirts and Trousers Maker	7433.25 7433.30	1:4	Two years	Broad Based Basic Training in Apparel Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Shirts and Trousers.	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.

[F.No. DGET-23(5)/3005/2006-AP]

SHARDA PRASAD, Director General/Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 356, dated the 1st August, 1992 and last amended *vide* number G.S.R. 576(E), dated the 6th September, 2007.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 401]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 21, 2010/आषाढ़ 30, 1932

No. 401]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 21, 2010/ASADHA 30, 1932

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2010

सा.का.नि. 609(अ).—केन्द्रीय सरकार, शिक्षा अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय शिक्षा परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् शिक्षा नियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिक्षा (दूसरा संशोधन) नियम, 2010 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- शिक्षा नियम, 1992 की अनुसूची 1 में समूह सं. 35 के अधीन, क्रम संख्यांक 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
28	मैकेनिक (गैर परम्परागत शक्ति उत्पादन बैटरी और इन्वर्टर)	8282.10	1:5	दो वर्ष	गैर परम्परागत शक्ति उत्पादन बैटरी और इन्वर्टर में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन वैधुत सेक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनयादि प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।
29.	मैकेनिक (वैधुत इंजीनियरी में प्रयुक्त उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव)	7241.10	1:5	दो वर्ष	वैधुत इंजीनियरी में प्रयुक्त उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन वैधुत सेक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनयादि प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।

30.	उत्सारण मैकेनिक प्रचालक (प्लास्टिक)	8232.20	1:3	दो वर्ष	उत्सारण प्रक्रिया में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन प्लास्टिक प्रसंस्करण सेक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।
31.	अंतःक्षेपी संचन मशीन प्रचालक	8232.25	1:3	दो वर्ष	अंतःक्षेपी संचन प्रक्रिया में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन प्लास्टिक प्रसंस्करण सेक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।
32.	धमन संचन मशीन प्रचालक	8232.35	1:3	दो वर्ष	धमन संचन प्रक्रिया में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन प्लास्टिक प्रसंस्करण सेक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।
33.	गृह प्रबंधक (होटल)	5121.10	1:5	दो वर्ष	विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन आवासन प्रचालन/गृह प्रबंधन में आतिथ्य सेक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।
34.	सहायक फ्रंट आफिस प्रबंधक	5121.25	1:5	दो वर्ष	सहायक फ्रंट आफिस प्रबंधक विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन आतिथ्य सेक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।
35.	शिक्षु खाद्य उत्पादन (पाककला)	5122.20	1:5	दो वर्ष	खाद्य उत्पादन (पाककला) में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल केन्द्र के अधीन आतिथ्य सेक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।
36.	शिक्षु खाद्य और सुपेय सेवा (स्टुवर्डशिप)	5123.20	1:5	दो वर्ष	सुपेय सेवा (स्टुवर्डशिप) में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल केन्द्र के अधीन आतिथ्य सेक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।

37.	कंप्यूटर और पेरीफेरल हार्डवेयर मरम्मत और रखरखाव मैकेनिक	3114.10 5220.25	1: 4	दो वर्ष	कंप्यूटर और पेरीफेरल हार्डवेयर मरम्मत और रखरखाव में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम के उन्नत मोड्यूल केन्द्र में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य ।
38.	कंप्यूटर नेटवर्क तकनीशियन	4122.10 4112.20 4113.35	1: 4	दो वर्ष	सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर में कंप्यूटर नेटवर्किंग में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम के उन्नत मोड्यूल केन्द्र में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य ।
39.	मल्टीमीडिया और वेबपेज डिजाइनर	4113.30	1: 4	दो वर्ष	सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर में कंप्यूटर नेटवर्किंग में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम के उन्नत मोड्यूल केन्द्र में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य ।
40.	प्रोसेस प्लांट प्रचालक	8152.10	1: 3	दो वर्ष	प्रोसेस प्लांट अनुसंधान सेक्टर में प्रचालक रसायन प्लांट में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम के उन्नत मोड्यूल केन्द्र में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य ।
41.	उपयोगिता प्रचालक	8161.30	1: 3	दो वर्ष	प्रोसेस प्लांट अनुसंधान सेक्टर में बायलर और वाष्प टर्बाइन में विशिष्टता प्रचालक स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम के उन्नत मोड्यूल केन्द्र में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य ।
42.	अनुसंधान मैकेनिक	8159.30	1: 3	दो वर्ष	प्रोसेस प्लांट अनुसंधान सेक्टर में प्रोसेस प्लांट के मैकेनिकल अनुसंधान में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम के उन्नत मोड्यूल केन्द्र में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण ।	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य ।
43.	इलेक्ट्रिकल मैकेनिक	7241.20	1: 3	दो वर्ष	प्रोसेस प्लांट अनुसंधान सेक्टर में प्रोसेस प्लांट के मैकेनिकल अनुसंधान में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम के उन्नत मोड्यूल केन्द्र में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य ।

44.	उपकरण नियंत्रक	7241.10	1:3	दो वर्ष	प्रोसेस प्लांट अनुसंधान सेक्टर में प्रोसेस प्लांट के इलेक्ट्रॉनिक और उपकरण अनुसंधान में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम के उन्नत मॉड्यूल केन्द्र में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।
45.	तकनीशियन फैब्रिकेटर	7212.30	1:3	दो वर्ष	प्रोसेस प्लांट अनुसंधान सेक्टर में इस्पात संरचना की फेब्रिकेशन और डिजाइनिंग में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम के उन्नत मॉड्यूल केन्द्र में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण।	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।

[फा. सं. डीजीईटी-2(2)/2009-एपी]

शारदा प्रसाद, महानिदेशक/संयुक्ता सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 356, तारीख 1 अगस्त, 1992 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. 507(अ), तारीख 16 जून, 2010 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
(DIRECTORATE GENERAL OF EMPLOYMENT AND TRAINING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2010

G.S.R. 609(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 37 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), the Central Government, after consulting the Central Apprenticeship Council hereby makes the following rules further to amend the Apprenticeship Rules, 1992, namely:—

1. (1) These rules may be called the Apprenticeship (Second Amendment) Rules, 2010.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Apprenticeship Rules, 1992, in Schedule I, under Group No. 35, after serial number 27 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
28.	Mechanic (Non-conventional Power Generation, Battery and Inverter)	8282.10	1:5	Two years	Broad Based Basic Training in Electrical Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Non-conventional Power Generation, Battery and Inverter.	One year and six months	Passed class examination under 10+2 system of education or its equivalent.

29.	Mechanic (Repair and Maintenance of instruments used in Electrical Engineering)	7241.10	1:5	Two years	Broad Based Basic Training in Electrical Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Repair and Maintenance of instruments used in Electrical Engineering.	One year and six months	Passed class examination under 10+2 system of education or its equivalent.	10 th
30.	Extrusion Machine Operator (Plastic)	8232.20	1:3	Two years	Broad Based Basic Training in Plastic Processing Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Extrusion Process.	One year and six months	Passed class examination under 10+2 system of education or its equivalent.	10 th
31.	Injection Moulding Machine Operator	8232.25	1:3	Two years	Broad Based Basic Training in Plastic Processing Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Injection Moulding Process.	One year and six months	Passed class examination under 10+2 system of education or its equivalent.	10 th
32.	Blow Moulding Machine Operator	8232.35	1:3	Two years	Broad Based Basic Training in Plastic Processing Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Blow Moulding Process.	One year and six months	Passed class examination under 10+2 system of education or its equivalent.	10 th
33.	House Keeper (Hotel)	5121.10	1:5	Two years	Broad Based Basic Training in Hospitality Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Accommodation Operation/ House Keeping.	One year and six months	Passed class examination under 10+2 system of education or its equivalent.	10 th
34.	Assistant Front Office Manager	5121.25	1:5	Two years	Broad Based Basic Training in Hospitality Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Front Office Management.	One year and six months	Passed class examination under 10+2 system of education or its equivalent.	10 th

2828 GI/10-2

35.	Apprentice Food Production (Cookery)	5122.20	1:5	Two years	Broad Based Basic Training in Hospitality Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Food Production (Cookery).	One year and six months	Passed class examination under 10+2 system of education or its equivalent.	10 th
36.	Apprentice Food and Beverage Service (Stewardship)	5123.20	1:5	Two years	Broad Based Basic Training in Hospitality Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Food and Beverage Service (Stewardship).	One year and six months	Passed class examination under 10+2 system of education or its equivalent.	10 th
37.	Computer and Peripherals Hardware Repair and Maintenance Mechanic	3114.10 5220.25	1:4	Two years	Broad Based Basic Training in Information Technology Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Repair and Maintenance of Hardware of Computer and Peripherals.	One year and six months	Passed class examination under 10+2 system of education or its equivalent.	10 th
38.	Computer Networking Technician	4122.10 4112.20 4113.35	1:4	Two years	Broad Based Basic Training in Information Technology Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Computer Networking.	One year and six months	Passed class examination under 10+2 system of education or its equivalent.	10 th
39.	Multimedia and Web Page Designer	4113.30	1:4	Two years	Broad Based Basic Training in Information Technology Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Multimedia and Web Page Designing.	One year and six months	Passed class examination under 10+2 system of education or its equivalent.	10 th
40.	Process Plant Operator	8152.10	1:3	Two years	Broad Based Basic Training in Process Plant Maintenance Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Operator Chemical Plant.	One year and six months	Passed class examination under 10+2 system of education or its equivalent.	10 th

41.	Utility Operator	8161.30	1:3	Two years	Broad Based Basic Training in Process Plant Maintenance Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Operation and Maintenance of Boiler and Steam Turbine.	One year and six months	Passed class examination under 10+2 system of education or its equivalent.	10 th
42.	Maintenance Mechanic	8159.79	1:3	Two years	Broad Based Basic Training in Process Plant Maintenance Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Mechanical Maintenance of Process Plant.	One year and six months	Passed class examination under 10+2 system of education or its equivalent.	10 th
43.	Electrical Mechanic	7241.20	1:3	Two years	Broad Based Basic Training in Process Plant Maintenance Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Electrical Maintenance of Process Plant.	One year and six months	Passed class examination under 10+2 system of education or its equivalent.	10 th
44.	Instrument Controller	7241.10	1:3	Two years	Broad Based Basic Training in Process Plant Maintenance Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Electronic and Instrument Maintenance of Process Plant.	One year and six months	Passed class examination under 10+2 system of education or its equivalent.	10 th
45.	Technician Fabricator	7212.30	1:3	Two years	Broad Based Basic Training in Process Plant Maintenance Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Fabrication and Designing of Steel Structure.	One year and six months	Passed class examination under 10+2 system of education or its equivalent.	10 th

[F. No. DGET-2(2)/2009-AP]

SHARDA PRASAD, Director General/Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 356, dated the 1st August, 1992 and last amended vide number G.S.R. 507(E), dated the 16th June 2010.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 499]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 8, 2010/भाद्र 17, 1932

No. 499]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 8, 2010/BHADRA 17, 1932

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2010

सा.का.नि. 734(अ).—केन्द्रीय सरकार, शिक्षा अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् शिक्षुता नियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिक्षुता (संशोधन) नियम, 2010 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. शिक्षुता नियम, 1992 की अनुसूची 1 में-

- (i) समूह सं. 20 के अधीन, क्रम संख्यांक 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
"6	पुष्पोत्पादक और भू-निर्माणकर्ता दृश्य	2213.20	1:5	एक वर्ष	पुष्पोत्पादक और भू-दृश्य निर्माण	छह मार	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन जीव विज्ञान के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य";

(ii) समूह सं. 23 के अधीन क्रम संख्यांक 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
"5	मैकेनिक संचार उपस्कर अनुक्षण	7244.20	1:5	दो वर्ष	1. मैकेनिक संचार उपस्कर अनुक्षण 2. मैकेनिक रेडियो और टेलीविजन 3. मैकेनिक सह-प्रचालक इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली	एक वर्ष एक वर्ष एक वर्ष	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।
6.	मैकेनिक रेडियो और टेलीविजन	7243.70	1:5	तीन वर्ष	मैकेनिक रेडियो और टेलीविजन	दो वर्ष	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन एक विषय के रूप में विज्ञान के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।

(iii) समूह सं. 31 में क्रम संख्यांक 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
"6.	मैकेनिक चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स	7243.30	1:5	तीन वर्ष	मैकेनिक चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स	दो वर्ष	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन गणित और विज्ञान के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।
7.	मैकेनिक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	7243.10	1:5	तीन वर्ष	मैकेनिक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	दो वर्ष	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन गणित और विज्ञान के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।
8.	मैकेनिक मैकेट्रॉनिक्स	7243.10	1:5	तीन वर्ष	मैकेनिक मैकेट्रॉनिक्स	दो वर्ष	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और

1	2	3	4	5	6	7	8
							गणित के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य”;

(iv) समूह सं. 35 के अधीन क्रम संख्यांक 45 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
46.	मैकेनिक रेडियो, दृश्य-श्रव्य प्रणाली साधित्र	7243.70 7243.90	1:3	दो वर्ष	रेडियो, दृश्य-श्रव्य प्रणाली और साधित्र में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।
47.	मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	7243.10	1:3	दो वर्ष	इलेक्ट्रॉनिक्स परीक्षण उपस्कर की मरम्मत और रखरखाव में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।
48.	मैकेनिक आटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स	7231.10	1:3	दो वर्ष	आटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स की स्कीम में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।
49.	मैकेनिक यांत्रिक अनुरक्षण (औद्योगिक आटोमोशन)	7233.38	1:3	दो वर्ष	आटोमोशन के लिए मैकेनिक यांत्रिक अनुरक्षण की स्कीम में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन औद्योगिक आटोमोशन सेक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।
50.	मैकेनिक वैद्युत अनुरक्षण (औद्योगिक आटोमोशन)	7241.70	1:3	दो वर्ष	आटोमोशन के लिए वैद्युत रखरखाव की स्कीम में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन औद्योगिक आटोमोशन सेक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।

1	2	3	4	5	6	7	8
51.	पीएलसी प्रचालक	7233.38	1:3	दो वर्ष	आटोमोशन और पीएलसी की स्कीम में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोज़्यूल के अधीन औद्योगिक आटोमोशन सेक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य”;

(v) समूह सं. 35 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के, पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
समूह सं. 36- आरक्ष्य व्यापार समूह:							
“1.	पर्यटक परेदर्शक	5113.20	1:7	एक वर्ष	पर्यटक परिदर्शक	छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य ।
2.	वार्षिक्य परेचारक	5131.20	1:5	एक वर्ष	वार्षिक्य देखभाल	छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 8वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य ।

(vi) समूह सं. 36 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के, पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
“समूह सं. 37- कार्यालय प्रबंध व्यापार समूह:							
1.	सचिवालयिक सहायक	4115.10	1:5	एक वर्ष और छह मास	1. आशुलिपी (अंग्रेजी) 2. सचिवालयिक व्यवसाय	एक वर्ष एक वर्ष	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य ।

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	आशुलिपिक (अंग्रेजी)	4111.10	1:5	एक वर्ष और छह मास	आशुलिपी (अंग्रेजी)	एक वर्ष	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।

[फा. सं. डीजीईटी-2(1)/2010-एपी]

अनिल स्वरूप, महानिदेशक/संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में संख्यांक सा.का.नि. 356, तारीख 1 अगस्त, 1992 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 609(अ), तारीख 21 जुलाई, 2010 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
(DIRECTORATE GENERAL OF EMPLOYMENT AND TRAINING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2010

G.S.R. 734(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 37 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), the Central Government, after consulting the Central Apprenticeship Council, hereby makes the following rules further to amend the Apprenticeship Rules, 1992, namely:—

- (1) These rules may be called the Apprenticeship (Third Amendment) Rules, 2010.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Apprenticeship Rules, 1992, in the Schedule I, —
 - (i) under Group No. 20, after serial number 5 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Florist and Landscaper	2213.20	1:5	One year	Florist and Landscaping	Six months	Passed 12 th class examination under 10+2 system of education with Biology or its equivalent.

- (ii) under Group No. 23, after serial number 4 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
5.	Mechanic Communication Equipment Maintenance	7244.20	1:5	Two years	1. Mechanic Communication Equipment Maintenance 2. Mechanic Radio and T.V. 3. Mechanic cum Operator Electronic Communication System	One year One year One year	Passed 10 th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.

3523 46/10-2

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Mechanic Radio and T.V.	7243.70	1:5	Three years	Mechanic Radio and T.V.	Two year	Passed 10 th class examination under 10+2 system of education with Science as one of the subject or its equivalent.;

(iii) under Group No. 31, after serial number 5 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
"6.	Mechanic Medical Electronics	7243.30	1:5	Three years	Mechanic Medical Electronics	Two years	Passed 10 th class examination under 10+2 system of education with Mathematics and Science or its equivalent.
7.	Mechanic Consumer Electronics	7243.10	1:5	Three years	Mechanic Consumer Electronics	Two year	Passed 10 th class examination under 10+2 system of education with Mathematics and Science or its equivalent.
8.	Mechanic Mechatronics	7243.10	1:5	Three years	Mechanic Mechatronics	Two years	Passed 12 th class examination under 10+2 system of education with Physics, Chemistry and Mathematics or its equivalent.;

(iv) under Group No. 35, after serial number 45 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
"45	Mechanic Radio, Audio, Video System and Appliances	7243.70 7243.90	1:3	Two years	Broad Based Basic Training in Electronics Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Radio, Audio, Video System and Appliances	One year and six months	Passed 10 th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.

1	2	3	4	5	6	7	8
47.	Mechanic Repair and Maintenance of Electronics Test Equipment	7243.10	1:3	Two years	Broad Based Basic Training in Electronics Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Repair and Maintenance of Electronics Test Equipment	One year and six months	Passed 10 th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.
48.	Mechanic Automobile Electronics	7231.10	1:3	Two years	Broad Based Basic Training in Electronics Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Automobile Electronics	One year and six months	Passed 10 th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.
49.	Mechanic Mechanical Maintenance (Industrial Automation)	7233.38	1:3	Two years	Broad Based Basic Training in Industrial Automation Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Mechanical Maintenance for Automation	One year and six months	Passed 10 th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.
50.	Mechanic Electrical Maintenance (Industrial Automation)	7241.70	1:3	Two years	Broad Based Basic Training in Industrial Automation Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Electrical Maintenance for Automation	One year and six months	Passed 10 th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.
51.	PLC Operator	7233.38	1:3	Two years	Broad Based Basic Training in Industrial Automation Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Automation and PLC	One year and six months	Passed 10 th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.

(v) After Group No. 35 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
"Group No. 36-Hospitality Trades Group:							
1.	Tourist Guide	5113.20	1:7	One year	Tourist Guide	Six months	Passed 12 th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Old Age Care Taker	5131.20	1:5	One year	Old Age Care	Six months	Pass 8 th class examination from recognized school or its equivalent.

(vi) After Group No. 36 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
"Group No. 37-Office Management Trades Group:							
1.	Secretarial Assistant	4115.10	1:5	One year and six months	1. Stenography (English) 2. Secretarial Practice	One year One year	Passed 12 th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.
2.	Stenographer (English)	4111.10	1:5	One year and six months	Stenography (English)	One year	Passed 12 th class examination under 10+2 system of education or its equivalent."

[F. No. DGET-2(1)/2010-AP]

ANIL SWARUP, Director General/Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, vide number G.S.R. 356, dated the 1st August, 1992 and last amended vide number G.S.R. 609(E), dated the 21st July, 2010.